प्रथम सूचना रिपोर्ट
{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थानाः– सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2023 दिनांक 19/01/2023
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण 1988 धाराः– 13(1)(सी)(डी), 13(2)
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– 467, 468, 471 व 120बी
   (3) अधिनियम .... धारायेः....................
   (4) अन्य अधिनियम व धारायेः– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 375 समय 4:20 pm
   (ब) अपराध के घटने का दिनः– वर्ष 2015 से 2018 तक समय ....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक मई– 2018 समय ....
4. सूचना की किस्मः– लिखित
5. घटनास्थलः–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– चौकी से बदिश दक्षिण–पश्चिम, बफासला करीबन 150 किलोमीटर दूर
   (ब) पताः– ग्राम पंचायत हरियाली, पंचायत समिति सांचोर, जिला जालोर
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तोः– नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्ताः–
   सरकार जरिये श्री दीनदयाल, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहितः–
   01. श्री शेरसिंह पुत्र श्री मानसिंह निवासी ग्राम बृजनगर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर तत्कालीन कनिष्ट तकनिकी सहायक (संविदा कार्मिक) कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचोर जिला जालोर, हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पापड पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर जिला जयपुर ।
   02. लाभार्थी श्री भरत कुमार पुत्र श्री मगनाराम माली निवासी मालीपुरा तहसील चितलवाना, प्रोपराईटर पार्थ ट्रेडिंग कंपनी ।
   03. लाभार्थी श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री ठाकराराम माली निवासी हरियाली प्रोपराईटर लक्ष्मीदास कन्स्ट्रक्शन कंपनी ।
   04. लाभार्थी श्रीमति संगीता देवी विश्नोई प्रोपराईटर मैसर्स खेतेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी निवासी बिजरोल का गोलिया तहसील सांचोर जिला जालोर ।
   05. श्री अवतार सिंह तत्कालीन सरपंच (फौत/मृत्यु)
   06. श्री विजेन्द्र कुमार तत्कालीन ग्राम सेवक (फौत/मृत्यु)
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं ।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयांः–....................
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्यः– 58,37,108 का अधिक भुगतान व 32,69,666/– का अनियमित भुगतान
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

महोदय,

वाक्यात हालात इस प्रकार निवेदन है कि परिवाद संख्या 191/2018 विरूद्ध श्री रामावतार शर्मा विकास अधिकार पंचायत समिति सांचौर व अवतारसिंह सरपंच ग्राम पंचायत हरियाली पंचायत समिति सांचौर जिला जालोर कि जांच से पाया गया कि वर्ष 2015–16 मे ग्राम पंचायत हरियाली पंचायत समिति सांचोर जिला जालोर मे श्री शेरसिंह तकनिकी सहायक पं.सं. सांचोर, लाभार्थी श्री भरत कुमार निवासी मालीपुरा प्रोपराईटर पार्थ ट्रेडिंग कंपनी, श्री गोविन्द कुमार निवासी हरियाली प्रोपराईटर लक्ष्मीदास कन्स्ट्रक्शन कंपनी, श्रीमति संगीता देवी विश्नोई प्रोपराईटर मैसर्स खेतेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी निवासी बिजरोल गोलिया, श्री अवतारसिंह तत्कालीन सरपंच (फोत/मृत्यु), श्री विजेन्द्र कुमार तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (फौत/मृत्यु) द्वारा मिलीभगत, षडयंत्रपूर्वक, कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर निम्न प्रकार विकास कार्यों मे अनियमितता बरती जाकर राज्य सरकार को आर्थिक हानि कारित करते हुए 58,37,108/– रुपये का प्रायवेट फर्मो को अधिक भुगतान तथा 32,69,666/– रुपये का अनियमित भुगतान कर सरकारी राजकोष को घाटा पहूंचाया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

1. नरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य पोरडी नाडी खुदाई कार्य (2718006123/112908189866) तकनीकी स्वीकृति सं0 04/4 दिनांक 11.04.01 है। मौके पर बिल्कुल कार्य नही हुआ है। मौके पर बडे–बडे बबूल खडे है एंव सम्बन्धित मेट सुखराम जो मुम्बई में है, इस अवधि में यहां नही था, जिसकी कॉल रिकॉडिंग सबूत भी है स्वीकृति राशि 2.37 लाख, मस्ट्रोल क0 1479 है।
2. अतिवृष्टि व बाढ से रास्तो का मरम्मत कार्य– ग्राम पंचायत द्वारा अतिवृष्टि व बाढ से रास्तो का मरम्मत सबंधी निम्न कार्य करवाये गये है।

   1. कार्य का नाम वरधा रेबारी की ढाणी से लाम्बा रेबारी की ढाणी तक जिसकी तकनीकी स्वीकृति सं. 613/2015–16 दिनांक 12.08.2015 कुल राशि 0.85 लाख है उक्त मरम्मत कार्य जो गलत है। 2. कार्य का नाम हरियाली से नारी नाडी जिसकी तकनीकी स्वीकृति सं. 611/15–16 दिनांक 12.08.2018 है। उक्त दोनो कार्यो के मस्टररोल में कांट छांट है।
3. निर्बन्ध योजनाः– निर्बन्ध योजना के कार्य एसएफसी पंचम के अन्तर्गत आते है। जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये गये है।
   1. कार्य का नाम जीएलआर (GLR) मय सी.डब्लू.टी. मय पाईपलाईन जटीयो का बास हरियाली की तकनीकी स्वीकृति सं. 39/16–17 दिनांक 13.10.2016 कुल राशि 2.83 लाख उक्त कार्य के अन्तर्गत किसी भी तरह की कोई पाईप लाईन नही बिछाई गई एंव पाईप लाईन का भुगतान उठा लिया गया है।
   2. कार्य का नाम जीएलआर (GLR) मय सी.डब्लू.टी. मय पाईपलाईन हरियाली से भरकुआ तक की तकनीकी स्वीकृति सं. 40/16–17 दिनांक 13.10.2016 कुल राशि 4.30 लाख मौके पर किसी प्रकार की कोई पाईप लाईन नही डाली गयी है।

3. कार्य का नाम जीएलआर (GLR) मय सी.डब्लू.टी. मय पाईपलाईन किसान सेवा केन्द्र के पास हरियाली की तकनीकी स्वीकृति सं. 82/15–16 दिनांक 11.10.2016 कुल राशि 2.10 लाख मौके पर किसी प्रकार की कोई पाईपलाईन नही डाली गयी है। मौके पर मस्टररोल में सरपंच के पुत्र मालम सिंह/अवतार सिंह का फर्जी नाम चला कर भुगतान उठाया गया।

4. कार्य का नाम जीएलआर (GLR) मय सी.डब्लू.टी. मय पाईपलाईन पता भील की ढाणी हरियाली की तकनीकी स्वीकृति सं. 41 दिनांक 13.10.2016 कुल राशि 4.30 लाख मौके पर किसी प्रकार की कोई पाईप लाईन नही डाली गयी है।

5. कार्य का नाम जीएलआर (GLR) मय सी.डब्लू.टी. मय पाईपलाईन सार्वजनिक सभा भवन के पास हरियाली की तकनीकी स्वीकृति सं. 42 दिनांक 13.10.2016 कुल राशि 4.30 लाख मौके पर किसी प्रकार की कोई पाईप लाईन नही डाली गयी है। गबन कर भुगतान उठाया गया है।

6. कार्य का नाम सार्व.शौ.रा.उ.मा.वि. हरियाली जीएलआर (GLR) मय सी.डब्लू.टी. मय पाईपलाईन हरियाली की तकनीकी स्वीकृति सं. 38/15–16 दिनांक 13.10.2016 कुल राशि 1.00 लाख मौके पर किसी प्रकार की कोई पाईप लाईन लगाकर गबन किया गया है।

7. कार्य का नाम जीएलआर (GLR) मय सी.डब्लू.टी. मय पाईपलाईन मालियो की ढाणी हरियाली की तकनीकी स्वीकृति सं. 41/16–17 दिनांक 13.10.2016 कुल राशि 4.30 लाख मौके पर किसी प्रकार की पाईप लाईन नही है।

4. पट्टा आवंटन योजना :– निम्न पट्टा आंवटन के अन्दर लोगो से रूपये खा कर ऐसी जगहो के पट्टे आवंटन कर दिये गये जंहा पर मौके पर कुछ भी बना हुआ नही है। यह प्लॉट बिल्कुल खाली है। उनके पट्टे पैसे लेकर जारी कर दिये गये है। पट्टे निःशुल्क जारी किये गये इसमें ऐसे कई व्यक्ति है जिन्होने पट्टे लिये है वो निःशुल्क देने योग्य नही होकर जमीन जायदाद वाले है। पैसे रिश्वत लेकर पट्टे जारी किये गये है। यहां पर पंचायत नियमो की पालना नही की गई है।

5. ग्राम पंचायत मदः– टांका निर्माण (1) मालमसिंह जी के गेट के पास टांका यह मालमसिंह /अवतार सिंह है जो कि वर्तमान संरपच का पुत्र है संरपच ने अपने ही पुत्र को दो बार टांका देकर गबन किया है। (2) दलपत सिंह के गेट के पास टांका यह सरपंच का भतीज है एंव पंचायत में पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत है को टांका लाभ देना अनुचित है एंव मालम सिंह व दलपत सिंह को एक टांका है जिसका भुगतान दो बार उठाया गया है। कुल राशि 0.50 लाख – 0.50 लाख। 2. टांका निर्माण :– हिरा/मनरा मेघवाल के घर एंव पुनमा/मनरा के घर यह एक ही टांका है जिसका केवल भुगतान दो बार उठाया गया अलग–अलग नाम लिखकर। इस तरह के गांव में ओर भी बहुत टांके बने हुए है जिसका भुगतान डबल–डबल उठाया गया है एंव गबन किया गया है। कुल राशि 0.50 लाख – 0. 50 लाख।

6. सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्यः– (1) जालम सिंह की कोटडी के पास यह गैाचालय पुराना है एंव फर्जी यहां कोई भी नया शौचालय नही बना है जो संरपच के घर के पास यह जालम सिंह सरंपच का पिता था। कुल राशि 1.10 लाख (2) जालम सिंह की फैक्ट्री के पास शौचालययहां कोई भी शौचालयनही बना हुआ है एंव भुगतान 1.10 लाख रूपये का गबन किया गया है। (3) सार्वजनिक सभा भवन के पास शौचालय पुराना बना हुआ है जिसकी मरम्मत करवाकर नये शौचालय का भुगतान उठाया गया है। 1.10 लाख रूपये गबन किया गया।

7. एसबीएम के तहत किये भुगतान :– शौचालय बनाने के लिए 12,000 हजार के चैक दिये गये उसमें सरंपच द्वारा एक ही व्यक्तियो के तीन–2 चैक काट कर राजधन की क्षति पहुचाई है जो निम्न प्रकार है।

1. जबर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दो चैक एक ही नाम से इसकी पत्नि स्वंय वार्ड पंच है तथा पूर्व में शपथ पत्र दे चुकी है कि उसका शौचालय तैयार है यह गबन किया गया है।
2. दशरथ सिंह पुत्र जबरसिंह के नाम दो चैक 12,000 हजार रूपये का यह वार्ड पंच का पुत्र है।
3. मालम सिंह/अवतार सिंह 12,000 का चैक यह सरंपच का पुत्र है।
4. जंगाल कंवर/अवतार सिंह 12,000 का चैक यह स्वंय सरंपच की पत्नि है और सरंपच ने अपना शपथ पत्र पेश किया हुआ है कि उसका शौचालय बना हुआ है। यह गबन किया गया है सरंपच द्वारा।
5. लाड कंवर/हिम्मत सिंह 12,000 का चैक दिया।
6. हिम्मत सिंह/शैतान सिंह 12,000 का चैक दिया यह दोनो पति–पत्नि है।
7. गोविन्द सिंह/जबरसिंह 12,000 का चैक यह वार्ड पंच का पुत्र है।
8. राणाराम/छोगाराम 12,000–12,000 के दौ चैक दिये गये है।
9. भुराराम/कमाराम 12,000–12,000 के दौ चैक दिये गये है।
10. राजाराम/वालाराम 12,000–12,000 के दौ चैक
11. नरसीराम/ठाकराराम 12,000–12,000 के दौ चैक
12. देरामाराम/भूराराम भील 12,000–12,000 के दौ चैक दिये गये है।
13. पालू देवी/शैतानराम 12,000–12,000 के दौ चैक यह एलडीसी है पंचायत के अन्दर।

8. फर्जी तरीके से प्रेरक बनाकर भुगतान उठाया गया :– (1) जवाराम/बिरमाराम 48/22.2.15 चैक नम्बर 2509299, 3500 चैक (2) जवाराम/बिरमाराम 72/10.10.15 चैक नम्बर 7342 14,000 चैक।

9. केश बुक को फर्जी तरीके से मेन्टेन किया गया :– (1) बिना टेण्डर के फर्मो को अलग–2 चैक दिये गये केश बुक सलंग्न है। (2) फर्जी बिल जमा कर भुगतान किया गया। (3) सफाई कर्मी को फर्जी भुगतान किया गया 16,000–16,000 हजार का (4) लाईट फिटींग के फर्जी बिल पैसे भर उठाया भुगतान।

10. प्रधानमंत्री (आवासों) आवास योजना :– निम्न प्रकार है रिश्वत लेकर किसी ओर के नाम का पी.एम.आवास किसी ओर दुसरे व्यक्ति को दे देना एंव फर्जी ए.सी नं. डाल बैक ऑफ बडौदा से भुगतान उठाया गया। 12,000 रूपये प्रत्येक व्यक्ति के गबन कर खा गये संरपच अवतार सिंह व हनुमानाराम सुथार मिली भगती करके किया पी.एम आवासो का गबन गया है जिनमें शंकराराम/दानाराम माली की पी.एम आवास दुसरे शंकरा/सोनो को दे दीया जो कि पक्का मकान एंव बडा व्यवसायी व्यक्ति है व सम्पूर्ण साधन सम्पन्न है। शंकरा/दानाराम गरीब व्यक्ति से 20,000 की डिमाण्ड की नही दे पाया तो आवास दुसरे को रूप्ये रिश्वत लेकर दे दिया कुल 22 व्यक्तियो को आवास योजना में गबन कर आवास उलट पुलट कर दिये गये है। कुल ही सभी पी.एम आवासो के अन्दर गबन है। रिश्वत लेकर वेटींग हटा दी गयी साफ नजर आ रही है। पी.एम आवास लिस्ट संलग्न है।

क0स0	आई.डी नम्बर	नाम	बैंक	कितनी किश्ते दी गई	विशेष विवरण
14	RJ3619542	GIFT	BOB	3	.
24	RJ1422626	MUNGARAM	SBBJ	3	.
25	RJ1422627	KUMBHARAM	BOB	3	.
26	RJ1434612	BHERARAM	BOB	3	.
28	RJ1587466	SHANKARRAM	BOB	3	.
40	RJ1638147	KAISADEVI	BOB	3	.
42	RJ18807708	HARLAL	BOB	2	.
47	RJ1927332	PARSHARAM	UCO	2	.
63	RJ2008989	THAKRARAM	PNB	2	.
66	RJ1966831	SAYATI DEVI	BOB	2	.
82	RJ1846137	HERA RAM	BOB	2	.
91	RJ2421935	SAVLARAM	BOB	2	.
92	RJ2446231	SANTA DEVI	BOB	2	.
99	RJ2531659	MANIDEVI	BOB	2	.
105	RJ2956511	BADHARAM	BOB	1	.

11. बाढ राहत कार्यो में मरम्मत फर्जी :– यह है कि बिना जे.सी.बी. चलाये 7,00,000 रूपये की जे.सी.बी चलाई गयी है जो बिल्कुल ही गबन किया गया है। बिना टेण्डर किये जे.सी.बी चलायी गयी है यह केवल कागजी फोरमेल्टी की गई है।

12. पंचायत में लगे इन्टरलॉकीग सी.सी. रोड :– (1) बिना क्वालिटी के इन्टरलॉकीग लगाये गये जो नकली है। (2) सी.सी. रोड की गुणवता बिल्कुल ही नही है जो टूट गई है। (3) समतलीकरण रेत भराई बुढलाई नही कर उठाया भुगतान जो सरासर गबन है।

13. बिना सेक्सन के उठाया गया भुगतान :– पंचायत खाते में 30,00,000 रूपये अग्रिम उठाये गये लिखमीदास कन्सट्रसन को 8,00,000 रूपये बिना टेण्डर के फर्जी चैक दिया गया है।

ग्राम पंचायत हरियाली के वर्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक किये गये समस्त कार्यों का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचौर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अधिकारी जालोर को उक्त अवधि के कार्यों के मूल्यांकन के लिये एक जांच कमेटी गठित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। जिसकी पालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचौर द्वारा एक जांच कमेटी गठित कर उक्त कार्यों का मुल्यांकन किया गया। कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचौर के द्वारा कार्यालय हाजा को प्रेषित की गई । प्राप्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों के विष्लेषण से वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई ।

ग्राम पंचायत हरियाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2015 से लेकर वित्तीय वर्ष 2017–18 तक जो भी विकास अथवा निर्माण कार्य करवाये गये उन सभी कार्यों का पंचायत समिति सांचौर के विकास अधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा गहनता पूर्वक कार्य मुल्यांकन किया गया तथा प्रत्येक कार्य का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। साथ ही वर्णित कार्यों के समस्त प्रकार के दस्तावेजों की भी जांच की गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट से पाया गया कि अधिकांष कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात कार्य निष्पादन किया गया है। कार्य की एम0बी0 तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र में दर्ज प्रविष्टियों का मौके पर किये गये कार्यों से मिलान किया गया तो पाया कि एम0बी0 एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रविष्टिया सही है लेकिन केषबुक के अनुसार अधिकांष कार्यों पेटे कार्य मूल्यांकन से अधिक भुगतान किया गया है जो कि नियमानुसार गलत है। जांच रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार के अधिक भुगतानों की राषि रू0 58,37,108/– वसूली योग्य है। जिनका कार्यवार स्पष्ट विवरण जांच कमेटी रिपोर्ट में है।

ग्राम पंचायत हरियाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से लेकर 2017–18 तक जो भी कार्य करवाये गये उन कार्यों में जांच कमेटी ने पाया कि अधिकांष कार्य एक ही फर्म पार्थ ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किये गये है। जिसके बिल वाउचर ग्राम पंचायत रिकॉर्ड से कमेटी द्वारा प्राप्त कर रिपोर्ट के साथ कार्य वार संलग्न किये गये है। बिलों के अवलोकन से प्रमाणित है कि पार्थ ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये अधिकांष बिलों में काटछांट तथा ऑवरराईटिंग की हुई है। अधिकांष बिलों मे तारीख तथा सन में ऑवरराइटिंग की गई है जो कि नियमानुसार गलत है तथा दस्तावेजों में कांट छांट कर कुट रचना कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है। यदि पार्थ ट्रेडिंग कंपनी के बिलों के कांट छांट तथा ऑवरराईटिंग को यदि सही माना जाये तो केषबुक के अनुसार अधिकांष बिलों का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है। जिनका विस्तृत खुलासा जांच कमेटी रिपोर्ट में कार्यवार स्पष्ट रूप से किया गया है। अधिकांष बिलों में जो तारीख तथा सन ऑवरराईटिंग किया गया है। बिलो का भुगतान केषबुक के अनुसार बिल प्रस्तुत दिनांक से पूर्व ही कर दिया जो कि स्पष्ट रूप से अनियमित तथा गलत है। क्योंकि किसी भी बिल का भुगतान बिल पेष करने की दिनांक से पूर्व में सभव ही नही हो सकता। नियमानुसार कार्य पूर्ण तारीख के पश्चात बिल पेष होते है तथा बिल पेष होने के बाद ही बिल राषि का भुगतान किया जाता है लेकिन ग्राम पंचायत हरियाली से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार अधिकांष बिलों में ऑवरराईटिंग कर बिल पेष दिनांक से पूर्व की दिनांकों में ग्राम पंचायत हरियाली के तत्कालीन सरपंच श्री अवतारसिंह तथा तत्कालीन ग्रामसेवक श्री विजेन्द्र द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपनी चहेती फर्म पार्थ ट्रेडिंग कंपनी से मिलीभगती कर निजी लाभ अर्जन के उद्धेष्य से कुटरचित दस्तावेज रचित कर इस फर्म को इस प्रकार भुगतान किया गया है जो कि अनियमित तथा गलत है। चुंकि पंचायत समिति सांचौर द्वारा ग्राम पंचायत हरियाली के समस्त रिकॉर्ड का वार्षिक अंकेषण भी नही किया गया अन्यथा अनियमितता उसी समय पकड में आ जाती।

जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट में कार्य क0सं0 24, 25, 26, 27, 28, 29 जो एक ही प्रकार के कार्य जी.एल.आर., CWTव पाईप लाईन का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न स्थानों पवर करवाया गया था। जिसमें एस्टीमेन्ट जीएलआर CWT का निर्माण कार्य मय पाईप लाईन तथा लोहे की सीढियां लगाने सहित करना था। किन्तु उपरोक्त सभी कार्यों में जीएलआर का निर्माण कार्य तो किया गया किन्तु उपरोक्त क0स0 के सभी 6 कार्यों में जो कि

एक ही प्रकृति के थे किसी भी जीएलआर के पाईप लाईन तथा लोहे की सीढियों का कार्य नही किया गया। चुंकि उपरोक्त सभी कार्यों के एस्टीमेंट में पाईपलाईन बिछाना तथा लोहे की सीढियां लगाना शामिल था। किन्तु ये कार्य किये बिना ही पार्थ ट्रेडिंग कंपनी को एस्टीमेन्ट मुताबिक पूर्ण भुगतान किया गया है जो कि वसूली योग्य है। साथ ही पार्थ ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत बिलों में ऑवरराईटिंग तथा कांट छांट भी की गई है जिस वजह से अनियमितता पूर्ण भुगतान किया गया है। उपरोक्त कार्यो में एस्टीमेट के मुताबिक निर्माण कार्य नही किया गया जिसके लिये पंचायत समिति सांचौर के जेईएन श्री शेरसिंह का पूर्ण उत्तरदायित्व था कि वो उक्त कार्यों की तकनीकी जांच कर कार्य पूर्णता की जांच की जानी उनसे अपेक्षित थी किन्तु उनके द्वारा जानबुझकर अपने कर्तव्य का लोभ किया तथा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी धनराषि का कार्य से अधिक भुगतान करवाया एवं तत्कालीन सरपंच श्री अवतारसिंह तथा ग्रामसेवक श्री विजेन्द्र कुमार से सांठगांठ कर अनुचित लाभ अर्जन किया जाना पाया गया है।

ग्राम पंचायत हरियाली के द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों के जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार क0सं0 30, 31, 32, 34 करवाये गये भिन्न–भिन्न प्रकृति के कार्यों की कोई वित्तीय स्वीकृति जारी ही नही की गई जो कि घोर अनियमितता की प्रतीक है। बिना सक्षम वित्तीय स्वीकृति के ही कार्य करवाये गये केवल मात्र ग्रम पंचायत की बैठक में लिये गये प्रस्तावों के आधार पर ही कार्य करवाये जो कि पूर्णतया नियम विरूद्ध है। जिसमें सरपंच श्री अवतार सिंह एवं ग्राम सेवक विजेन्द्र कुमार की आपसी मिलीभगत तथा सांठगांठ स्वयं सिद्ध है। उपरोक्त कार्यों की एवजी में किया गया भुगतान अनियमित है जो कि वसूली योग्य है। उपरोक्त कार्य जो कि ग्राम पंचायत की बिना वित्तीय स्वीकृति जारी किये ही करवाये गये।

जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के क0सं0 61 पर केषबुक के अनुसार ग्राम पंचायत हरियाली द्वारा दिनांक 17.06.2016 को जरिये चैक सं0 3958922 के द्वारा 268556 रू0 तथा दिनांक 14.02.2017 को जरिये चैक सं0 18051 के द्वारा 93360 रू0 मिनी बैंक डांगरा में जमा करवाये गये है परन्तु ये राषि किस पेटे किस अवधि में कार्य पेटे एवं किन श्रमिकों को भुगतान पेटे जमा करवाये गये ऐसा कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत हरियाली में जांच कमेटी को प्राप्त नही हुआ। उपरोक्त राषि मिनी सहकारी बैंक डांगरा में तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक की मिलीभगती से ही संदिग्ध भुगतान किया गया है। जो कि मिनी सहकारी बैंक डांगरा से वसूली योग्य है।

जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के क0सं0 62 पर अंकित भुगतान राषि ग्राम पंचायत निविदा पत्रावली अनुसार पार्थ ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराईटर भरत कुमार पुत्र मगनाराम माली निवासी मालीपुरा (केसुरी) पंचायत समिति चितलवाना को ग्राम पंचायत हरियाली द्वारा रोकड बही के लेखे अनुसार निर्माण पेटे भिन्न–भिन्न तारीखों में अलग–अलग चेक जारी कर कुल राषि 22,47,787 रू0 का भुगतान किया गया। किन्तु यह भुगतान किन–किन कार्यों पेटे किया गया इस संबंध में कोई बिल वाउचर ग्राम पंचायत हरियाली द्वारा प्रस्तुत नही किये गये तथा केषबुक में भी इस प्रकार का कोई विवरण दर्ज नही है। अतः उपरोक्त राषि पार्थ ट्रेडिंग कंपनी से वसूली योग्य है। इसके अलावा कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार तथा संलग्न रिकॉर्ड तथा बिल वाउचरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2017–18 तक करवाये गये विभिन्न कार्यों के पेटे पार्थ ट्रेडिंग द्वारा जो बिल पेष किये गये उनमें अधिकांषत बिलों में कांट छांट तथा ऑवरराईटिंग की हुई है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि चुंकि एक ही फर्म को बिना किसी कार्य तथा बिल वाउचर के लाखों रूपये की सरकारी धनराषि का भुगतान किया जाना तत्कालीन सरपंच श्री अवतारसिंह तथा तत्कालीन ग्राम सेवक श्री विजेन्द्र कुमार की आपसी मिलीभगती एवं पद का दुरूपयोग कर सरकारी धनराषि का गबन किया गया है।

जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन के क्र0सं0 63 मै0 लक्ष्मीदास कन्सट्रक्षन कंपनी के प्रोपराईटर गोविन्द कुमार पुत्र श्री ठाकराराम माली निवासी हरियाली को केषबुक के अनुसार ग्राम पंचायत हरियाली द्वारा दिनांक 01.11.2017 को कुल रू0 800000 अक्षरे आठ लाख रू0 का भुगतान किया गया है परन्तु किस कार्य पेटे किया गया है न तो ग्राम पंचायत ने कोई बिल जांच टीम के प्रस्तुत किये और न ही कार्य का विवरण उपलब्ध करवाया तथा केषबुक में भी इस प्रकार का कोई विवरण उपलब्ध नही है। अतः उपरोक्त भुगतान की गई राषि वसूली योग्य है क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नही है। साथ ही जांच कमेटी के क्र0सं0 64 पर मैसर्स श्री खेतेष्वर कन्सट्रक्षन कंपनी प्रोपराईटर श्रीमती संगीता देवी विष्नोई बिजरोल का गोलिया, तहसील सांचौर को ग्राम पंचायत की केषबुक के अनुसार भिन्न–भिन्न तारीखों में भिन्न–भिन्न चैक द्वारा कुल रू0 351300 रू0 का भुगतान किया गया किन्तु उपरोक्त भुगतान किस कार्यों के पेटे एवं किस बिल वाउचर पेटे किया गया इस संबंध में कोई दस्तावेज जांच टीम को प्रस्तुत नही किये गये है तथा न ही कोई कार्य विवरण केषबुक में दर्ज है। अतः उपरोक्त राषि भी वसूली योग्य है। तत्कालीन सरपंच श्री अवतारसिंह तथा ग्राम सेवक विजेन्द्र कुमार द्वारा मिलीभगती कर तथा अपनी चहेती फर्मों से सांठगांठ कर अनुचित लाभार्जन करके सरकारी धनराषि का अनियमित भुगतान किया जाना प्रमाणित होता है जो कि मैसर्स लक्ष्मीदास कन्स0 कंपनी के प्रोपराईटर गोविन्द कुमार पुत्र श्री ठाकराराम तथा मैंसर्स श्री खेतेष्वर कन्स0 कंपनी की प्रोपराईटर श्रीमती संगीता देवी विष्नोई निवासी बिजरोल का गोलिया तहसील सांचौर से वसूली योग्य है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान ग्राम पंचायत हरियाली पंचायत समिति सांचौर में किये गये निर्माण कार्यों में तथा निर्माण कार्यों के भुगतान संबंधित कार्यवाहीयों में घोर अनियमितताएं तथा नियम विरूद्धता पाई गई है। तत्कालीन सरपंच श्री अवतार सिंह जो कि जनवरी 2015 से 17.03.2018 तक सरपंच पद पर रहा जिसकी दिनांक 18.03.2018 को सरपंच पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई एवं तत्कालीन ग्रामसेवक श्री विजेन्द्र कुमार जो एक 01.04.2015 से 06.11.2017 तक ग्राम पंचायत हरियाली में ग्रामसेवक पद पर पदस्थापित रहा जिसकी दिनांक 07.11.2017 को ग्रामसेवक पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। दोनो लोकसेवको द्वारा अपने पद पर रहते हुए पद का दुरूपयोग कर निजी फर्मों से मिलीभगती कर उपरोक्त फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया तथा सरकारी धनराषि का अनियमित भुगतान किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न कार्यों के पेटे अधिक वसूली रू0 58,37,108 /– तथा विभिन्न कार्यों पेटे अधिक भुगतान 32,69,666 /– रू0 किया गया है। तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक के उक्त कृत्यों में जेईएन श्री शेरसिंह पंचायत समिति सांचौर भी संलिप्त रहा जिसका दायित्व था कि वो समस्त निर्माण कार्यों की कार्य पूर्णता जांच तथा कार्य गुणवता जांच कर भुगतान किया जाना सुनिष्चित करे लेकिन उक्त कर्मी ने जानबुझकर अपने कर्तव्यों का लोप किया तथा अपने पद का दुरूपयोग कर सरपंच व ग्राम सेवक से मिलीभगती कर निजी लाभ अर्जन किया जाना पाया गया है।

निवेदन है कि किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा मदों के अन्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्यों का संपादन ग्राम पंचायत स्तर पर ही होता है तथा आवंटित धनराषि खर्च करने हेतु तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा जारी की जाती है। कार्य उपरांत कार्य पूर्णता जांच एवं कार्य गुणवता जांच पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत के रोकडबही संधारण, बिल वाउचर संधारण तथा विभिन्न कार्यों पेटे भुगतान संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। ग्राम पंचायत हरियाली के तत्कालीन सरपंच श्री अवतार सिंह तथा ग्राम सेवक श्री विजेन्द्र कुमार द्वारा वर्ष 2015 से 2017–18 तक किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों तथा भुगतान प्रकिया संबंधित अनियमितताओं एवं बिना वित्तीय स्वीकृति कार्य करवाये जाना, तकमिने के अनुरूप पूर्ण कार्य नही करवाना, अधूरे कार्य करके पूर्ण भुगतान उठाया जाना तथा तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा अपनी चहेती प्राईवेट फर्मों

को सरकारी धनराषि रू 58,37,108 /– का अधिक भुगतान तथा रू 32,69,666/– का अनियमित भुगतान कर सरकारी राजकोष को घाटा पहुंचाया गया है।

चुंकि तत्कालीन सरपंच श्री अवतार सिंह का निधन दिनांक 18.03.2018 को हो गया तथा तत्कालीन ग्रामसेवक श्री विजेन्द्र कुमार का निधन दिनांक 07.11.2017 को हो गया जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र जांच कमेटी द्वारा जांच प्रतिवेदन में पेष किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत हरियाली पंचायत समिति सांचोर जिला जालोर मे करवाये गये विकास कार्यों मे अनियमितता बरतते हुए मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्म मालिकों को अनुचित लाभ पहूंचाते हुए रू 58,37,108 /– का अधिक भुगतान तथा रू 32,69,666/– का अनियमित भुगतान कर सरकारी राजकोष को घाटा पहुंचाया गया है। आरोपीगण 01. श्री शेरसिंह पुत्र श्री मानसिंह निवासी ग्राम बृजनगर तहसील भरतपुर जिला भरतपुर तत्कालीन कनिष्ट तकनिकी सहायक (संविदा कार्मिक) कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचोर जिला जालोर, हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पापड़ पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर जिला जयपुर, 02. लाभार्थी श्री भरत कुमार पुत्र श्री मगनाराम माली निवासी मालीपुरा तहसील चितलवाना, प्रोपराईटर पार्थ ट्रेडिंग कंपनी, 03. लाभार्थी श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री ठाकराराम माली निवासी हरियाली प्रोपराईटर लक्ष्मीदास कन्स्ट्रक्शन कंपनी, 04.लाभार्थी श्रीमति संगीता देवी विश्नोई प्रोपराईटर मैसर्स खेतेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी निवासी बिजरोल का गोलिया तहसील सांचोर जिला जालोर, 05. श्री अवतार सिंह तत्कालीन सरपंच (फौत/मृत्यु), 06. श्री विजेन्द्र कुमार तत्कालीन ग्राम सेवक (फौत/मृत्यु) के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 467, 468, 471 व 120बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना प्रतिवेदन कता की जाकर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है ।

भवदीय

(दीनदयाल)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर ।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 467, 468, 471 व 120बी भादसं में अभियुक्तगण 1. श्री शेरसिंह पुत्र श्री मानसिंह, तत्का. कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा कार्मिक) कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांचोर, जिला जालोर, हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत पापड, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर, 2. लाभार्थी श्री भरत कुमार पुत्र श्री मगनाराम माली निवासी मालीपुरा, तहसील चितलवाना, प्रोपराईटर पार्थ ट्रेडिंग कम्पनी, 3. लाभार्थी श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री ठाकराराम माली, निवासी हरियाली प्रोपराईटर लक्ष्मीदास कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 4. लाभार्थी श्रीमती संगीता देवी विश्नोई, प्रोपराईटर मैसर्स खेतेश्वर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी निवासी बिजरोल का गोलिया, तहसील सांचोर, जिला जालोर, 5. श्री अवतार सिंह, तत्कालीन सरपंच(फौत/मृत्यु) एवं 6. श्री विजेन्द्र कुमार, तत्कालीन ग्राम सेवक(फौत/मृत्यु) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 17/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 128-32 दिनांक 19.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परि.191/18)

19.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।